सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 09, 2024

जी.एस.आर.162 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 17.02.1995 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) **नियम, 1967,** जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"(घ) निरसित उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी. चम्बल विभाग कोटा (इसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेद सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और 1964 के उपरोक्त नियमों के अधीन जारी किये गये स्थायी आदेशों के अधीन भर्ती किये गये तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ (जन स्वास्थ्य शाखा) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख को विभाग में कार्यरत समस्त व्यक्ति।"

3. **नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक (9)** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(9) कार्य-प्रभारित कर्मचारी जो, निरसित उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी. चम्बल विभाग कोटा (इसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेद सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और 1964 के उपरोक्त नियमों के अधीन जारी स्थायी आदेशों के अधीन **भर्ती किये गये थे** तथा जिन्हें चयन **ग्रेड/एसीपी या तो शोध्य है या प्राप्त कर रहे हैं और**

जो प्रारंभिक भर्ती पद पर कार्यरत हैं तथा अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत नहीं किये गये हैं, को अनुसूची-II में यथोल्लिखित पुनर्पदाभिहित किया जायेगा। ऐसे पुनर्पदाभिहित कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को अनुसूची-II में के उपबंधों के अनुसार पद (पदों) पर उन्नत/पदोन्नत किया जायेगा।"

4. **अनुसूची-II का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान **अनुसूची-II** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित **किया जायेगा, अर्थात्:-**

"अनुसूची-II

क्र.सं.	कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम,1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम	पुनर्पदाभिहित पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	1. बेलदार 2. चौकीदार 3. माली	संकर्म सहायक	वरिष्ठ संकर्म सहायक	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)
2.	4. हैल्पर	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)
3.	5. मेसन 6. लाइनमैन 7. मोल्डर-II 8. मीटर रीडर-I, मीटर चैकर-I 9. सहायक ड्रिलर बेधन 10. आर्टिजन-II	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)
4.	11.मिस्त्री सिविल संकर्म ग्रेड-III 12. बढ़ई 13. लुहार-II	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)

	14. मैकेनिक-II 15.फिटर-II 16. रंगसाज (पेंटर)-II 17. प्लम्बर-II 18. खरादी (टर्नर)-II 19. इलैक्ट्रिशियन-II 20. पंप और मशीन ऑपरेटर (पंप ऑपरेटर-II) 21. वेल्डर-II 22. वायरमैन-II 23. मोटर यान चालक				
5.	24. भंडार मुंशी	भंडार मुंशी	भंडार मुंशी-I	वरिष्ठ भंडार मुंशी	प्रधान भंडार मुंशी
6.	25. मोल्डर-I 26. मीटर रिपेयरर टेस्टर-II	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)
7.	27. मैकेनिक-I 28. इलैक्ट्रिशियन-I 29. वायरमैन-I 30. वेल्डर-I 31. खरादी (टर्नर)-I 32. वरिष्ठ बढ़ई 33. लुहार-I 34. प्लमबर-I	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	विशेषज्ञ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)
	35. रंगसाज (पेंटर)-I 36. मिस्त्री ग्रेड-II				

"

[सं.एफ.2(8)डीओपी/ए-II/88]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 09, 2024

G.S.R.162 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) (1st Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 17.02.1995.

2. **Amendment of rule 5 .-** The existing clause (d) of rule 5 of the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967, hereinafter referred to as the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"(d) All persons recruited under the repealed Rajasthan P.W.D. (B&R) including Garden, Irrigation, Land Development (Programme) Circle C.A.D. Chambal Department Kota (including its Divisions/Sub-divisions), Water Works, Ayurvedic and Forest Department (excluding Departmental Operation Circle) Work-charged Employees Service Rules, 1964 and the standing orders issued under the above rules of 1964 and working in the department on the date of commencement of the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Service (1st Amendment) Rules, 2024."

3. **Amendment of rule 6.-** The existing proviso (9) to sub-rule (2) of rule 6 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(9) The Work-charged Employees who were recruited under the repealed Rajasthan P.W.D. (B&R) including Garden, Irrigation, Land Development (Programme) Circle C.A.D. Chambal Department Kota (including its Division/sub-divisions), Water Works, Ayurvedic and Forest Department (excluding Departmental Operation Circle) Work-charged Employees Service Rules, 1964 and the standing orders issued under the above rules of 1964 and either due or getting selection grade/ACP and working on initial recruited post and not promoted on next higher post shall be re-designated as mentioned in Schedule-II. Such re-designated Work-charged employees shall be upgraded/Promoted on the post (s) as per the provisions in Schedule-II."

4. **Amendment of Schedule-II .-** The existing Schedule-II appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

" Schedule-II

S. No.	Name of the post of initial appointment under the Work-charged Employees Service Rules, 1964	Name of the redesignation post	Name of the post on completion of 9 years' service from the date of being semi permanent	Name of the post on completion of 18 years' service from the date of being semi permanent	Name of the post on completion of 27 years' service from the date of being semi permanent
1	2	3	4	5	6
1	1. Beldar 2. Chokidar 3. Mali	Works Assistant	Senior Works Assistant	Head Works Assistant	Technician III (Related trade)
2	4. Helper	Head Works Assistant	Technician III (Related trade)	Technician II (Related trade)	Technician I (Related trade)
3	5.Mason 6. Lineman 7. Molder-II 8.Meter Reader-I, Meter Checker-I 9. Asstt. Driller Boring 10. Artisan- II	Technician III (Related trade)	Technician II (Related trade)	Technician I (Related trade)	Senior Technician (Related trade)
4	11.Mistry Civil Works Grade-III 12.Carpenter 13.Blacksmith-II 14.Mechanic-II 15.Fitter-II 16.Painter-II 17.Plumber – II 18.Turner- II 19.Electrician – II 20.Pump & Machine Operator (Pump Operator-II) 21.Welder - II	Technician II (Related trade)	Technician I (Related trade)	Senior Technician (Related trade)	Head Technician (Related trade)

	22.Wireman – II 23.Driver of Motor Vehicle				
5	24. Store Munshi	Store Munshi	Store Munshi-I	Senior Store Munshi	Head Store Munshi
6	25.Molder-I 26. Meter Repairer Tester-II	Technician I (Related trade)	Senior Technician (Related trade)	Head Technician (Related trade)	Chief Technician (Related trade)
7	27.Mechanic - I 28.Electrician - I 29.Wireman - I 30.Welder - I 31.Turner-I 32.Senior Carpenter 33.Blacksmith- I 34.Plumber - I 35.Painter - I 36.Mistry Grade-II	Head Technician (Related trade)	Chief Technician (Related trade)	Senior Chief Technician (Related trade)	Specialist Technician (Related trade)

"

[No. F. 2(8)DOP/A-II/88]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.